

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER,
Rural Work Department, Works Division. Purnea.
E-mail ID- cewvdpurnea1@gmail.com, (Mobile No.- 8986915376)

Letter No.192...../

Letter of Acceptance

Purnea, Date 3/02/2025

From,

Er. Vishwabandhu Rajeev Ranjan,
Executive Engineer

To,

Sanjiv Maratha,
Jhanda Chowk, Bhatla bazaar, Purnea

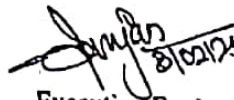
This is to notify you that the Employer, namely, Chief Engineer-4, Rural Works Department, Purnea has accepted your Bid Letter No. 140 dated 29.01.2025 for execution of the MMGSY(AWSESH)-NDB-BRRP2-856-PURNEA, Under MMGSY (AWSESH)-NDB (Tender ID-136849) and routine maintenance of the works for five years for the Contract Price of Rupees 1,39,38,224.00 (One Crore Thirty Nine Lakh Thirty Eight Thousand Two Hundred Twenty Four) only in accordance with the Instructions to Bidders is hereby accepted by our Agency.

You are hereby requested to furnish Performance Security Rs. 2,79,000.00 and additional security for Rs. 22,20,000.00 unbalanced bids in terms of ITB Clause 26, [where applicable] in the form detailed in Cl. 30 of ITB for an total amount of Rs. 24,99,000.00 within 15 days of the receipt of this letter of acceptance valid up to 45 days from the date of expiry of Defects Liability Period i.e. up to 5 Years and sign the contract, if the Performance Security is in the form of a Bank Guarantee, the period of validity of Bank Guarantee could be one year initially, however, the contractor would get this Bank Guarantee extended in such a way that an amount equal to requisite performance.

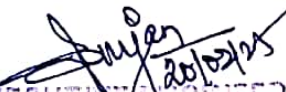
security is always available with the Employer until 45 days after the lapse of Defect Liability Period. Failing which action as stated in Cl. 30.3 of ITB will be taken

Thanking You

Your's Faithfully


Executive Engineer
2/2/25 3.2.25

14/ Page


EXECUTIVE ENGINEER
RURAL WORKS DEPARTMENT
WORKS DIVISION, PURNEA
2/2/25 3.2.25

CS CamScanner

मुख्य अभियंता-4 (पूर्णिमा) का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग।

पत्रांक-गु0अ0-4-प0पु0-01- 385/24
प्रेषक,

140 अ/उ

दिनांक- 29/01/2025

मुख्य अभियंता-4 (पूर्णिमा)
ग्रामीण कार्य विभाग

सेवा में,

अधीक्षण अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, पूर्णिमा।

विषय-ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, पूर्णिमा के अधीन शीर्ष MMGSY-NDB-AWSESH अन्तर्गत MMGSY-(AWSESH)-NDB-BRRP2-856-PURNEA का गठन मरम्मत कार्य (टेन्डर आई0टी0-136849) के निविदा निष्पादन के संबंध में।

महाराज,

उपयुक्त विषयक प्रारंभिक पत्र के आलोक में सूचित किया जाता कि ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, पूर्णिमा के अधीन शीर्ष MMGSY-NDB-AWSESH अन्तर्गत MMGSY-(AWSESH)-NDB-BRRP2-856-PURNEA का पथ मरम्मत कार्य (टेन्डर आई0टी0-136849) आपके एवं कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, पूर्णिमा के अनुशंसा पर सफल न्यूनतम दर निविदाकार Sanjiv Maratha (Bld ID-599741) को उनके द्वारा उद्धृत दर परिमाण विपत्र की दर/राशि से 20.69 (बीस दशमलव छः नौ) प्रतिशत कम पर अर्थात् 1,39,38,224.00 (एक करोड़ उनचासी लाख अठ्तीस हजार दो सौ चौबीस) रुपये मात्र पर आवेदित किया जाता है।

कार्यादेश निर्गत करने से पूर्व संबंधित कार्यपालक अभियंता अधिपन्न सत्यापन कर सत्यापन प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

2. निविदा की स्वीकृति सिर्फ इसी कार्य के लिए है, जो भविष्य में पूर्वाधार नहीं होगा।
3. संवेदक के द्वारा एकरारनामा के लिए जमा की गयी राशि एवं निविदा के साथ जमा किये गये राशि से संबंधित एन0एस्0सी0/किसान विकास पत्र/बैंक गारंटी आदि का सत्यापन संबंधित डाकधर/बैंक से कराकर प्रमण्डलीय कार्यालय में अभिलेखित किया जायेगा।
4. एकरारनामा के पूर्व निविदा आमंत्रण सूचना के अनुसार सभी योजित कामजातों की अद्यतन रवच एवं सत्यापित प्रति निश्चित रूप से प्राप्त कर लिया जायेगा।
5. एकरारनामा के समय निविदाकार से मासिक कार्य योजना लिखित रूप से प्राप्त कर लिया जायेगा, जो एकरारनामा का अंग होगा।
6. कार्य में व्यवहृत सामग्रियों का दर प्रायकलन में स्वीकृत लीड के आधार पर दिया गया है। कार्य कराते समय अगर इसमें कमी पायी जाती है, तो उसके सापेक्ष दर में कमी कर दी जायेगी।
7. इस कार्य के संबंध में ग्रामीण कार्य विभाग, विहार सरकार द्वारा निर्गत प्रशासनिक स्वीकृति एवं प्राथमिक स्वीकृति तथा निविदा आमंत्रण सूचना में उल्लिखित शर्त एकरारनामा का भाग होगा, जिसे विशेष शर्तों में जोड़कर संवेदक के साथ एकरारनामा किया जायेगा।
8. एकरारनामा के समय प्रत्येक मद के मापा की शुद्धता की जाँच कार्यपालक अभियंता स्वयं कर लेंगे।
9. कार्यालय के पूर्व कार्यपालक अभियंता कार्य स्थल के निरीक्षणोपरान्त स्थल की स्थिति, सरकारी भूमि की उपलब्धता एवं प्रायकलन में किये गये उपबन्ध से पूरी तरह आश्वस्त हो लेंगे एवं प्राथमिक स्वीकृति के अपसारण प्रारूप में दिये गये निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
10. एकरारनामा के समय संवेदक से कार्य प्रोग्राम प्राप्त कर लेंगे एवं उसका अनुपालन सुनिश्चित करावेगे।
11. अधीक्षण अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता विशेष रूप से ध्यान दें कि कार्य मानक विशिष्टियों के अनुरूप निर्धारित कार्य अवधि के अन्दर पूरा हो जाये।
12. एकरारनामा के पूर्व कार्यपालक अभियंता आवश्यक हो लेंगे कि संबंधित संवेदक का नाम डिभार सूची/फाली सूची में सम्मिलित नहीं है।
13. सफल संवेदक के साथ शीघ्रतरी एकरारनामा वित्त अधिनियम के तहत 21 दिनों के अन्दर कर कार्य प्रारम्भ कराया जाय। एकरारनामा करने के लिए संवेदक को एक निश्चित समय सीमा दी जाय और उस समय के अन्दर सभी कामजातों के साथ उपस्थित नहीं होने पर अधोहस्ताक्षरी को अपगत कराया जाय जिससे कि उचित कार्रवाई की जा सके।
14. इस कार्य का व्यय शीर्ष MMGSY-NDB-AWSESH से विकलित होगा।

[Signature]
EXECUTIVE ENGINEER
RURAL WORKS DIVISION, PURNEA
29/01/25

15. कार्य का प्रगति प्रतिवेदन प्रत्येक महीने की सातवी तारीख तक निश्चित रूप से इस कार्यालय को समर्पित की जाय।
16. एकरारनामा करने से पूर्व संबंधित अधीक्षण अभियंता परिमाण विपत्र के मद, मात्रा एवं दर की जाँच पुनः कर लेंगे।
17. एकरारनामा करते समय यह प्रावधान किया जाय कि संवेदक त्रुटिपूर्ण सामग्रियों की आपूर्ति के लिए पूर्णतः दोषी माने जायेंगे।
18. यदि सफल निविदादाता विभाग में निबंधित नहीं है तो एकरारनामा के पूर्व उन्हें विभाग में विधिवत निबंधन कारनामा आवश्यक होगा।
19. संबंधित कार्यपालक अभियंता यह सुनिश्चित कर लेंगे कि यह कार्य किसी अन्य योजना के अन्तर्गत स्वीकृत नहीं है एवं किसी अन्य एजेंसी के द्वारा इसका कार्य नहीं कराया जा रहा है।
20. इस कार्य पर होने वाले व्यय को वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति की राशि के अन्तर्गत ही रखा जाय। एकरारनामा करने से पूर्व संबंधित कार्यपालक अभियंता यह सुनिश्चित कर लेंगे कि संवेदक के पास पूर्व में कोई कार्य लम्बित नहीं है।
21. निविदा में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर इसकी सूचना गद्यारीक्ष मुख्यालय को भेजी जाय एवं निर्देश प्राप्त होने तक निविदा पर अप्रतार कार्यवाई स्थगित रूखा जाय।
22. सभी निविदा कागजात एवं तुलनात्मक विवरणी की मूल कागजात अप्रतार कार्यवाई हेतु वापस लौटायी जा रही है।
23. कार्यपालक अभियंता एकरारनामा के पूर्व संवेदक द्वारा समर्पित अनुगम्य प्रमाण पत्र की शुद्धता की जाँच कर लेंगे। किसी प्रकार कि गिनता होने पर एकरारनामा नहीं करेंगे तथा अघोष्टताक्षरी को सूचित करेंगे। साथ ही साथ यंत्र-सर्वत्र की उपलब्धता के संबंध में भी आवश्यक हो लेंगे।
24. विभागीय पत्रांक 14/ओप्रो-03-21/2021-489 अनु० पटना दिनांक 28.01.2021 का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, पूर्णियाँ को तुलनात्मक विवरणी की एक अभिप्रमाणित प्रति अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, पूर्णियाँ अभिलेख हेतु उपलब्ध करा दें। कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दें।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासमाजन

मुख्य अभियंता-4 (पूर्णियाँ)

ज्ञापांक:-

140

पटना, दिनांक:- 27/01/2025

प्रतिलिपि:-अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ समर्पित।

मुख्य अभियंता-4 (पूर्णियाँ)

ज्ञापांक:-

140

पटना, दिनांक:- 29.01.2025

प्रतिलिपि:-कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, पूर्णियाँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

मुख्य अभियंता-4 (पूर्णियाँ)

ज्ञापांक:-

140

पटना, दिनांक:- 27/01/2025

प्रतिलिपि:-नोडल पदाधिकारी, MMGSY, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

मुख्य अभियंता-4 (पूर्णियाँ)

EXECUTIVE ENGINEER
RURAL WORKS DEPARTMENT
WORKS DIVISION, PURNIA

27/01/2025

20.2.25